



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29062026-273914  
CG-MH-E-29062026-273914

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2026/आषाढ 6, 1948

No. 470]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2026/ASHADHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 26 जून, 2026

सा.का.नि. 521(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य में जिला अहमदाबाद में गेरतपुर (बारेजडी- नान्देज़)- साणंद के बिच में चौथी लाइन परियोजना (38.20 की.मी) नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के कोई हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1)के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में अपनी आपति प्रकटकर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपति सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, प्रथम तल, आपदा प्रबंधन भवन, महसूल भवन, कलेक्टर ऑफिस, सुभाष त्रिज सर्कल के पास, अहमदाबाद को लिखित रूप में किया जाएगा, और उसमें

आपत्ति के कारण बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्लिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आपतियों का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2)के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

गुजरात राज्य में गेरतपुर (बारेजडी- नान्देज़)- साणंद के बिच में चौथी लाइन (38.20 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

#### ज़िला : अहमदाबाद

क्रमिक संख्या	तालुका	गाँव	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (Sq.mtr)
1	2	3	4	5	6	7
1	साणंद	नवापुरा	109/2	निजी	कृषि	127
2	साणंद	नवापुरा	City Survey NA 21/2	निजी	गैर-कृषि	440
3	साणंद	नवापुरा	17	निजी	कृषि	23
4	साणंद	नवापुरा	13	निजी	कृषि	174
5	साणंद	नवापुरा	113	निजी	कृषि	541
6	साणंद	नवापुरा	150/6	निजी	कृषि	1931
7	साणंद	नवापुरा	530	निजी	कृषि	1125
8	साणंद	नवापुरा	446/2	निजी	गैर-कृषि	1247
9	साणंद	नवापुरा	450/1	निजी	गैर-कृषि	1935
10	साणंद	नवापुरा	452	निजी	गैर-कृषि	3111
11	साणंद	नवापुरा	159	निजी	कृषि	2829
12	साणंद	नवापुरा	157/1/1	निजी	कृषि	1109
13	साणंद	नवापुरा	162/1	निजी	कृषि	271
14	साणंद	नवापुरा	162/2	निजी		
15	साणंद	नवापुरा	153/2	निजी	कृषि	552
16	साणंद	नवापुरा	155/P1	निजी	कृषि	342
17	साणंद	नवापुरा	155/P2	निजी		
18	साणंद	नवापुरा	150/12/P1	निजी	कृषि	2014
19	साणंद	नवापुरा	City Survey NA150/12/P2	निजी	गैर-कृषि	
20	साणंद	नवापुरा	150/7	निजी	कृषि	198

21	साणंद	नवापुरा	105	निजी	कृषि	843
22	साणंद	नवापुरा	418	निजी	गैर-कृषि	135
					<b>Total</b>	<b>18947</b>

[फा. सं. ई-649883-01]

डी.आर .चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[Western Railways (Construction Organisation)]**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th June, 2026

**G.S.R. 521(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **4<sup>TH</sup> LINE BETWEEN BAREJADI – NANDEJ (GERATPUR) – SANAND (38.20 KM) IN THE DISTRICT OF AHMEDABAD** in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20 (D) of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Special Land Acquisition Officer, First Floor, Disaster Management Building, Collector Office, Near. Subhash Bridge Circle, Ahmedabad, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project: 4th line between GERATPUR (Barejadi-Nandej) – SANAND (38.20 km) in the state of Gujarat.

**District : Ahmedabad**

Sr. No.	Taluka	Village	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area to be acquired (sq.mts)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanand	Navapura	109/2	Private	Agriculture	127
2	Sanand	Navapura	City Survey NA 21/2	Private	Non - Agriculture	440
3	Sanand	Navapura	17	Private	Agriculture	23
4	Sanand	Navapura	13	Private	Agriculture	174
5	Sanand	Navapura	113	Private	Agriculture	541
6	Sanand	Navapura	150/6	Private	Agriculture	1931

7	Sanand	Navapura	530	Private	Agriculture	1125
8	Sanand	Navapura	446/2	Private	Non - Agriculture	1247
9	Sanand	Navapura	450/1	Private	Non - Agriculture	1935
10	Sanand	Navapura	452	Private	Non - Agriculture	3111
11	Sanand	Navapura	159	Private	Agriculture	2829
12	Sanand	Navapura	157/1/1	Private	Agriculture	1109
13	Sanand	Navapura	162/1	Private	Agriculture	271
14	Sanand	Navapura	162/2	Private		
15	Sanand	Navapura	153/2	Private	Agriculture	552
16	Sanand	Navapura	155/P1	Private	Agriculture	342
17	Sanand	Navapura	155/P2	Private		
18	Sanand	Navapura	150/12/P1	Private	Agriculture	2014
19	Sanand	Navapura	City Survey NA150/12/P2	Private	Non - Agriculture	
20	Sanand	Navapura	150/7	Private	Agriculture	198
21	Sanand	Navapura	105	Private	Agriculture	843
22	Sanand	Navapura	418	Private	Non - Agriculture	135
					<b>Total</b>	<b>18947</b>

[F. No. E-649883-01 ]

D.R. CHAUDHARY, Chief project Manager/Construction-I